भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1201

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025 / 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

संगठित और असंगठित क्षेत्र का कल्याण

†1201.श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्रीमती भारती पारधीः

श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज की वर्तमान स्थिति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान न्यूनतम मजदूरी, कार्य स्थितियों और कार्यस्थिति सुरक्षा मानकों सहित श्रम कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उभरते उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए श्रमिकों के कौशल विकास, कौशल उन्नयन और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए पहल शुरू की है या शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर निर्माण, विनिर्माण और खनन जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और उनके उल्लंघन के लिए लगाए गए दंड का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) देश में कार्य स्थितियों में सुधार, निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं को बढ़ावा देने और सभी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित दीर्घकालिक रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): दिनांक 21.11.2025 को चार श्रम संहिताएं, वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध (आईआर) संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य

दशाएं संहिता, 2020 को लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बेहतर कार्य स्थितियों, सुरक्षा, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और कामगारों के कल्याण को बढ़ाने के लिए 29 मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनया गया है।

इन नई श्रम संहिताओं में, नियुक्ति पत्र, एकसमान न्यूनतम मजदूरी, गिग, प्लेटफॉर्म और अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, रात की पाली सहित सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए महिलाओं के अधिकारों का विस्तार आदि अनिवार्य हैं। ये संहिताएं असंगठित कामगारों सहित सभी क्षेत्रों के कामगारों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाती हैं। आईआर कोड छंटनी किए गए कामगारों हेतु रीस्किलिंग फंड भी प्रदान करता है।

निर्माण, विनिर्माण और खनन क्षेत्र में कामगारों की सुरक्षा के लिए नियम, विनियम, मानक आदि बनाए गए हैं। नियमों, विनियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याणकारी प्रावधानों सहित सेवा की शर्तों के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं। अनियमितताओं का पता चलने के मामले में, निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार जुर्माने और कारावास सहित पेनाल्टी का प्रावधान हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम एवं रोजगार और उद्योग मंत्रियों तथा सचिवों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 12 नवंबर, 2025 के दौरान आयोजित किया गया। कामगारों के लिए एक समावेशी, निष्पक्ष और लचीला इकोसिस्टम बनाने के लिए एक व्यापक विजन दस्तावेज 'श्रम शक्ति नीति' (राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति) का मसौदा तैयार किया गया है, जो 2047 तक विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा को गति देगा।

इसके अलावा, सरकार रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू कर रही है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोड़ दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य 99,446/- करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****